



2026:AHC:45314

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 3079

इंद्रा कुमारी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रयोगेन्द्र पाल सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रयोगेन्द्र पाल सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई अतिरिक्त हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं। अतः, पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निर्णय नए चरण पर ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह सुरेन्द्र पाल सिंह की पत्नी है, जिन्हें वर्ष 1980 में क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 13.08.2004 को एक दंडात्मक आदेश पारित किया गया था जिसके तहत याचिकाकर्ता के पति को पदावनत कर दिया गया था। इसके विरुद्ध की गई अपील भी 23.03.2005 को खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 10.12.2018 को हो गई। अब याचिकाकर्ता ने पत्नी होने के नाते उक्त दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अब संबंधित आपराधिक मामले में एक 'फाइनल रिपोर्ट' (अंतिम रिपोर्ट) प्रस्तुत की जा चुकी है, जिससे एक नया वाद-कारण उत्पन्न हुआ है और याचिकाकर्ता को उक्त दोनों आदेशों को चुनौती देने का अधिकार मिल गया है।
5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत आदेश 13.08.2004 और 23.03.2005 को पारित किए गए थे। याचिकाकर्ता के पति ने अपने जीवनकाल में इन्हें चुनौती नहीं दी और 10.12.2018 को उनका निधन हो गया। अतः, याचिकाकर्ता के पास इन आदेशों को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, विशेष रूप से तब जब उसके पति ने स्वयं इन प्रतिकूल आदेशों को स्वीकार किया था। इसके अलावा, वर्तमान याचिका अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी के साथ दायर की गई है।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।
7. स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध 13.08.2004 और 23.03.2005 को दंडात्मक आदेश पारित किए गए थे, जिन्हें उन्होंने कभी चुनौती नहीं दी और 10.12.2018 को उनका देहांत हो गया। याचिका के पैराग्राफ-22 में देरी का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आपराधिक मामले की लंबी प्रक्रिया, कोविड-19 महामारी, पूर्व अधिवक्ता की मृत्यु और वृद्धावस्था/बीमारी का हवाला दिया है।

"22. यह कि यह रिट याचिका विलंब से दायर की गई है क्योंकि याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध दिनांक 25.11.2003 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर ने दिनांक 25.11.2003 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के पति को दिनांक 13.08.2004 को पदावनत कर दिया था। जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2004 के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे दिनांक 23.03.2005 को खारिज कर दिया गया था। थाना-कोतवाली सिटी, बुलंदशहर में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 552 वर्ष 2003 में दिनांक 12.07.2005 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई थी और उपरोक्त मामले की अंतिम रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर के न्यायालय के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष 08.04.2019 तक, यानी 13 वर्ष 8 माह और 26 दिन तक लंबित रही। थाना- कोतवाली सिटी, बुलंदशहर में धारा 409 भा.दं.सं. के तहत अपराध संख्या 552/2003 की अंतिम रिपोर्ट (विविध अंतिम रिपोर्ट संख्या 1799 वर्ष 2008) को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसी समय देश कोविड-19 की बीमारी से जूझ रहा था, जो कि वर्ष 2019, 2020, 2021 और अगस्त 2022 तक चला। जब कोविड-19 समाप्त हुआ, तब याचिकाकर्ता इलाहाबाद आई और दिनांक 22.08.2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चैंबर नंबर 46 में अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार मौर्य से संपर्क किया और उन्हें समस्त दस्तावेज सौंप दिए। जब याचिकाकर्ता ने पुनः अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार मौर्य से संपर्क किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार मौर्य का निधन हो चुका है। तत्पश्चात उन्होंने उपरोक्त मामले के दस्तावेज पुनः एकत्रित किए और दिनांक 10.10.2025 को पुनः इलाहाबाद उच्च न्यायालय आई और पूर्व अधिवक्ता श्री प्रयोगेन्द्र पाल सिंह को नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने दिनांक 21.01.2025 को रिट याचिका दायर की जिसे (दबाव न देते हुए) वापस ले लिया गया ताकि आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ के आदेश दिनांक 23.03.2005 को प्राप्त किया जा सके। इसके उपरान्त पुनः रिट याचिका संख्या 1613 वर्ष 2025 दिनांक 30.01.2026 को दायर की गई, और इस रिट याचिका पर भी बल नहीं दिया गया तथा विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अब याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है। वर्तमान में याचिकाकर्ता एक 61 वर्षीय महिला हैं और वृद्धावस्था में बीमार रहती हैं, अतः न्याय के हित में रिट याचिका दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाए।"

8. देरी को माफ करने के लिए जो आधार लिए गए हैं, वे स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, यह देरी कानूनी रूप से न्यायसंगत नहीं ठहराई गई है।
9. तदनुसार, हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं पाया जाता है। यह रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27 फरवरी, 2026

आशु

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।